अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2017 अनवानी श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्र स0 मेजर सिंह खालसा, मैसर्स सरदार ट्रेडिंग कंपनी, 57 नई धान मण्डी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

Web Copy - Not official

31–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखविन्द्र सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुखविन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. सरकार आपके द्वारा अभियान–2014 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री राजस्थान सरकार के जन सुनवाई शिविर में दिनांक 24.06.2014 को श्रीकरणपुर कैम्प में प्रार्थी (सुखविन्दर सिंह) द्वारा दी गई शिकायत की प्रमाणित प्रति (सुविधा हेतु प्रार्थी को दी गई प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न है)
2. उक्त शिकायत पर राज्य सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही/निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से 2 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1582 दिनांक 31.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के शिकायत प्रा0 पत्र 24.06.14 का संबंध जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर से होने के कारण प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र दिनांक 09.12.16 को उन्हे भिजवा दिया गया था।

चूंकि अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र का संबंध जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर से होने के कारण प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1550 दिनांक 09.12.16 के द्वारा अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें हस्तान्तरित कर दिया गया है। अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर के कार्यालय में ही चाराजोही करनी चाहिए। यदि उनके द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर यहां से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राज0 सम्पर्क कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1567-68
18-8-17

आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा/-

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर